प्रेस विज्ञप्ति

02.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही धन शोधन जांच के संबंध में 30.12.2025 से 01.01.2026 तक दिल्ली में कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया है। यह जांच इंदरजीत सिंह यादव, उसके साथियों और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों से संबंधित है, जो अवैध जबरन वसूली, निजी वित्तपोषकों के साथ जबरन ऋण निपटान, हथियारों का उपयोग करके डराना और ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों से कमीशन उत्पन्न करने में शामिल हैं।

ईडी ने हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई 15 से अधिक एफआईआर और दाखिल किए गए आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स के रूप में संचालित) के मालिक और प्रमुख नियंत्रक इंदरजीत सिंह यादव हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक जाना-माना बाहुबली है। इंदरजीत सिंह यादव हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में फरार होकर यूएई में काम कर रहा है।

ईडी ने विशिष्ट जानकारी के आधार पर मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की तलाशी ली थी। उनके एक करीबी सहयोगी, अमन कुमार, जो धन के हेरफेर और निजी फाइनेंसरों के साथ समझौते कराने में सहायक था, उसके पास अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) पाया गया और वह पीओसी को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। ईडी ने विभिन्न संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली और चल और अचल संपत्तियों के रूप में संपत्तियां पाईं। तलाशी के परिणामस्वरूप 6.24 करोड़ रुपये की नकदी, लगभग 17.4 करोड़ रुपये के आभूषण, कई चेक बुक और लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए।

इससे पहले इस मामले में तलाशी एवं जब्ती अभियान के तहत 05 लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इंदरजीत सिंह एवं उसके साथियों से संबंधित डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया था। इसके अलावा यह भी पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध के आगमों से विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं।

आगे की जांच जारी है।







